(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं. 20/2015–2020

नई दिल्ली, दिनांकः–25 जुलाई, 2018

सा०आ०(अ०) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 35/2015–2020 के अधिक्रमण में आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची – I (आयात नीति) के अध्याय 8 के एक्जिम कोड 0802 80 के तहत सुपारी की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	संशोधित नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्ते
	सुपारी				
08028010	संपूर्ण	मुक्त	**निषिद्ध**	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/– रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ **मूल्य 251/– रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।**
08028020	विभाजित	मुक्त	**निषिद्ध**	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/– रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ **मुल्य 251/– रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।**
08028030	पिसा हुआ	मुक्त	**निषिद्ध**	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/– रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ **मुल्य 251/– रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।**
08028090	अन्य	मुक्त	**निषिद्ध**	बशर्ते सीआईएफ मूल्य 251/– रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो	तथापि, आयात मुक्त है यदि सीआईएफ **मुल्य 251/– रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम हो।**

2. इस अधिसूचना का प्रभावः सुपारी का आयात सीआईएफ मूल्य 251 रु० और उससे अधिक प्रति किलोग्राम पर मुक्त है और सीआईएफ मूल्य 251 रु० से नीचे आयात निषिद्ध है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा० सं० 01/89/180/43/एएम–01/पीसी–2(क) (खण्ड–II)/ई–1256 से जारी)